समाहरणालय, मुंगेर
(जिला पंचायत राज कार्यालय, मुंगेर)
आदेश

उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना के पत्रांक 50–20/2014–2201 दिनांक 30.12.2014 द्वारा नगर परिषद, जमालपुर में वार्ड संख्या 03 एवं 23 के पार्षदों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन 2015 कराये जाने के संबंध में कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

1.	उप निर्वाचन हेतु प्रपत्र–11 में सूचना का प्रकाशन	–	12.01.2015
2.	नामांकन प्राप्त करने की तिथि	–	12.01.2015 से 20.01.2015 (11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक)
3.	संवीक्षा की अंतिम तिथि	–	22.01.2015 (11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक)
4.	अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि	–	27.01.2015 (11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक)
5.	अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन	–	27.01.2015 (अप. 3 बजे के बाद)
6.	मतदान की तिथि	–	11.02.2015 (बुधवार)
7.	मतदान का समय	–	8 बजे प्रातः से 4 बजे अपराह्न तक
8.	मतगणना की तिथि (पुनर्मतदान नहीं होने पर)	–	12.02.2015 (सुबह 8 बजे से)

उक्त उप चुनाव को सम्पन्न कराने हेतु निम्न प्रकार से कोषांगों का गठन किया जाता है :–

1.कार्मिक कोषांग :–

इस कोषांग का गठन आसन्न नगर परिषद जमालपुर का उप निर्वाचन, 2015 के लिए कार्मिक/पदाधिकारी की व्यवस्था करने के उद्धेश्य से किया जाता है। जिलान्तर्गत सभी मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दल, गश्तीदल–दण्डाधिकारी, जोनल–दण्डाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार अन्य कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार कर्मियों/पदाधिकारीयों की नियुक्ति हेतु जिलान्तर्गत राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सूची इस कोषांग द्वारा प्राप्त कर इनका नियुक्ति पत्र तैयार कर इसका तामिला कराना इस कोषांग का मुख्य दायित्व होगा। इस संदर्भ में यह निदेश दिया जाता है कि निर्वाचन की तिथि से 15 दिन पूर्व चुनाव में लगाये जाने वाले सभी कर्मियों को नियुक्ति पत्र का तामिला निश्चित रूप से करा दिया जाय ताकि इन कर्मियों को मतदान संबंधी प्रशिक्षण तीन चरणों में दिलाया जा सके।

मतदान दलों के गठन में यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि मतदान कर्मी का गृह प्रखंड एवं पदस्थान का प्रखंड प्रतिनियुक्ति स्थल से भिन्न प्रखंड हो।

गश्तीदल दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी/सब जोनल दण्डाधिकारी के लिए भी नियुक्ति पत्र तैयार करना और इनका तामिला कराने का कार्य इस कोषांग के जिम्में होगा। नियुक्त दण्डाधिकारियों के लिए नगर परिषद, जमालपुर से प्राप्त रूट चार्ट प्रतिवेदन के आधार पर मतदान केन्द्रवार जिला मुख्यालय को केन्द्र मानते हुए इस कोषांग द्वारा चार्ट तैयार किया जायेगा। इन दण्डाधिकारियों को जिस तिथि को योगदान देने हेतु जिला मुख्यालय बुलाया जायेगा, उस तिथि को ही उन्हें अग्रिम यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु आवश्यकतानुसार सहायक/नाजिर की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगे। सभी नियुक्ति पत्र के तमिला के लिए आवश्यकता एवं अधियाचना के आलोक में वाहन कोषांग द्वारा वाहन की व्यवस्था की जायेगी।

मतदान कर्मियों को यात्रा भत्ता अग्रिम भुगतान की देय राशि की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से लेने के बाद तदनुसार राशि की गणना कर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को राशि उप आवंटित की जायेगी। इसका भुगतान कर्मियों को उनके योगदान देने वाले निर्धारित स्थानों पर किया जायेगा। यह कोषांग सुनिश्चित करेंगे कि भुगतेय राशि का आकलन कर सभी निर्वाची पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु विवरणी वितरण की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को भेज दी जाय। ताकि भुगतान राशि ससमय उपलब्ध करायी जा सके। अग्रिम का भुगतान संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

मतगणना हेतु पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों/लिपिकों/कार्यालय परिचारियों का नियुक्ति पत्र तैयार करना एवं तामिला कराना आदि भी इसी कोषांग का दायित्व होगा।

इस कोषांग के संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों, लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

1. श्री जैनेन्द्र कुमार – निदेशक,लेखा एवं स्वनियोजन,ग्रामीण विकास अभिकरण,मुंगेर
2. श्री पंकज झा – जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर।
3. श्री प्रवीण कुमार – लिपिक, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।
4. श्री पुरूषोत्तम कु0 तिवारी– लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर।
5. श्री सच्चिदानन्द पासवान – कार्यालय, परिचारी, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर।
6. श्री जवाहर सिंह – कार्यालय, परिचारी, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर।

2.सामाग्री कोषांग

यह कोषांग सूचना भवन, मुंगेर में कार्यरत रहेगा। यह कोषांग निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों का आकलन करते हुए पर्याप्त समय रहते विभिन्न प्रकार के प्रपत्र एवं अन्य सामग्रियों की आवश्यकता संबंधी आकलन प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को देगी, ताकि इसके आधार पर मतदान सामग्रियों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सके। अपेक्षित मात्रा में जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदान सामग्रियाँ प्राप्त कर मतदान केन्द्रवार पैकेट तैयार कर मतदान की निर्धारित तिथि से कम से कम पॉच दिन पूर्व संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को इसे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य के लिए आवश्यकता के आलोक में अधियाचना पर वाहन कोषांग द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमालपुर द्वारा मतदान केन्द्रवार मतदातासूची की कार्यकारी प्रति 7 प्रतियों में तैयार कर इस कोषांग को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त 7 प्रति कार्यकारी मतदातासूची में से तीन प्रति संबंधित मतदान केन्द्र के पैकेट में रखा जायेगा एवं 4 प्रति सुरक्षित रखी जायेगी। मतदाता सूची का विखण्डन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा।

इस कोषांग के संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों, लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

1. श्री रवीन्द्र नाथ – बन्दोवस्त पदाधिकारी, मुंगेर
2. श्री भरत प्रसाद वर्णवाल – उ0 व0 लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मुंगेर।
3. श्री सतीश सहाय – संविदा पर नियुक्त लिपिक, जिला अभिलेखागार, मुंगेर।
4. श्री संजय कुमार – कार्यालय परिचारी, जिला अभिलेखागार, मुंगेर।

3.ई0वी0एम0 सीलिंग–सह– प्रशिक्षण कोषांग :-

इस कोषांग का गठन ई0वी0एम0 को चुनाव हेतु तैयार करने सिलिंग करने तथा कार्मिकों को ई0वी0एम0 संचालन का प्रशिक्षण देने हेतु किया जाता है। क्योंकि यह चुनाव ई0वी0एम0 से कराया जाना है, ई0वी0एम0 के संचालन का प्रशिक्षण मतदान दलों को देने हेतु इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। प्रशिक्षण का कार्य चुनाव की तिथि से एक सप्ताह पूर्व सम्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाय। प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वाले सभी पदाधिकारी एवं कार्मिकों से प्रशिक्षण के पश्चात् विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

ई0वी0एम0 सिलिंग का काम इस कोषांग का प्रमुख दायित्व है जिसे पूर्ण सजगता से किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रभारी पदाधिकारी अपने स्तर से अभियंताओं एवं सहायकों तथा अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति एन0 आई0 सी0/कार्मिक कोषांग से सूची प्राप्त कर करेंगें। ई0वी0एम0 को नगर परिषद, जमालपुर के चुनाव हेतु तैयार करने से पूर्व जिला पंचायत कार्यालय, मुंगेर से प्राप्त ई0वी0एम0 में यदि कोई डाटा हो तो उसे ई0वी0एम0 से हटाने के पश्चात् वैलेट यूनिट एवं कन्ट्रोल यूनिट की सिलींग का कार्य किया जाय। ई0वी0एम0 तैयार करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी की सील से बैलेट यूनिट एवं कन्ट्रोल यूनिट को सील कर राज्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में तैयार करेंगें। निर्वाचन हेतु तैयार ई0वी0एम0 को सुरक्षित रखनें हेतु संबंधित ब्रजगृह प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगें। ब्रजगृह प्रभारी पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र की पंजी में संधारित कर इसे सुरक्षित ब्रजगृह में रखेंगे

तथा ससमय संबंधित गश्तीदल–दण्डाधिकारी के मतदान केन्द्र पर उपलब्ध कराने हेतु पावती लेकर हस्तगत करायेंगें।

मतदान केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले ई. वी. एम. एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले ई. वी. एम. की व्यवस्था जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर अपने स्तर से ई. वी.एम.कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस कोषांग के संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारी, लिपिको एवं कार्यालय परिचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

1. श्री प्रमोद कुमार – जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर।
2. नबी अहमद – सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, मुंगेर।
3. श्री दिगम्बर झा – सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, मुंगेर।
4. श्री पवन कुमार – लिपिक, जिला सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
5. मो0 परवेज आलम – कार्यालय परिचारी, जिला सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।

4.वाहन कोषांग :–

नगर परिषद उप निर्वाचन, 2015 के लिए गठित मतदान दलों/मतदान सामग्रियों/गश्तीदलों/अर्द्धसैनिक बलों एवं अन्य सुरक्षा बलों के परिवहन हेतु प्रर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इस कोषांग का गठन किया जाता है। यह कोषांग जिला में उपलब्ध सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग के वाहनों का नियमानुसार अधिग्रहित कर वाहन कोषांग में जमा करने की तिथि संबंधी आदेश अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर लेंगें। तदनुसार वाहनों को निर्धारित स्थल पर जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रयुक्त वाहनों के लिए अनुमानित ईधन का आकलन कर तुरन्त प्रतिवेदित करेंगे ताकि आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सके। जिला स्थित किसी पेट्रोल पम्प मालिक के साथ एक बैठक की तिथि अधोहस्ताक्षरी से निर्धारित करवा कर चुनाव में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के लिए ईधन आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।

चुनाव समाप्ति के बाद पेट्रोल पम्प मालिक से अभिश्रव प्राप्त कर सभी जमा लॉग बुक एवं ईधन कूपन की अधकट्टी (Counter Foil) से इसकी जाँच कर अपने मन्तव्य के साथ अभिश्रव जिला निर्वाचन कार्यालय में निश्चित रूप से 7 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेख करना है कि इन कार्यो की समाप्ति के बाद ही प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कार्मिकों को विरमित करेंगे।

इस कोषांग कि सफल संचालन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

1. श्री नजीर अहमद – जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री संजीव कुमार – मोटरयान निरीक्षक, मुंगेर
3. श्री अंगद कुमार – उ0व0 लिपिक, जिला नजारत शाखा, मुंगेर।
4. श्री सुबोध शर्मा –संविदा पर नियोजित लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर।
5. श्री मिट्ठु प्रसाद – कार्यालय परिचारी, जिला आपदा शाखा, मुंगेर।

5.बज्रगृह कोषांग :

इस कोषांग का गठन चुनाव समाप्त हो जाने के पश्चात् पोल्ड ई. वी. एम. को बज्रगृह में सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। साथ ही मतदान कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले सील्ड ई. वी. एम. भी इसी बज्रगृह में रखा जायेगा।

बज्रगृह का निर्माण सूचना भवन के उपरी तल पर अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच के प्रकोष्ठ में की जायेगी तो वर्तमान में खाली है एवं मतगणना के लिए सूचना भवन के पंचायत कार्यालय के पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान हॉल में चयनित किया गया है। अतः यहाँ पर बज्रगृह एवं मतगणना स्थल के निर्माण का प्रस्ताव निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार कर नक्शा सहित कार्यपालक, अभियन्ता भवन प्रमण्डल, मुंगेर जिला निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।